कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला कलक्टर)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान,
जिला – सवाई माधोपुर

क्रमांक :लेखा/ईजीएस/2011–12/ 2538 दिनांकः 26.9.11

विज्ञप्ति

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग–3) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ 10 (9) ग्रावि/नरेगा/सहा.कार्य.अधि./10 जयपुर दिनांक 29.04.2011 व 29.06.2011 से जारी निर्देशों के क्रम में सवाई माधोपुर जिले की पंचायत समितियों में पूर्णतः अस्थाई संविदा अनुबन्ध पर सहायक कार्यक्रम अधिकारियों के संविदा पदों के लिए दिनांक 17.10.2011 को 6.00 PM तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है –

क्र. स.	नाम पद	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	मानदेय प्रतिमाह (अधिकतम)	पदों की संख्या	आरक्षित वर्ग	पदस्थापन स्थान	आवेदन पत्र जमा करवाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (संविदा)	1. एम.बी.ए. (ग्रामीण प्रबन्धन में एम.बी.ए. अभ्यार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी) 2. DOEACC Society द्वारा कम्प्यूटर में "O" Level कोर्स के योग्यताधारी को प्राथमिकता दी जावेगी।	DOEACC Society द्वारा कम्प्यूटर में "O" Level कोर्स के योग्यताधारी को रू. 15000/– व अन्य को रू. 13000/– प्रतिमाह	प्रत्येक पं. स. में एक	राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार	पंचायत समिति स्तर पर	अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) सवाई माधोपुर

आवश्यक निर्देश/शर्ते –

1. योजनान्तर्गत पूर्व में जो याचिकाकर्ता/ आवेदक संविदा पर कार्यक्रम अधिकारी के पद पर सन्तोषजनक कार्य कर चुके है, उन्हे चयन में प्राथमिकता देते हुए उनके चयनित होने के पश्चात जो पद रिक्त रहेगें वे अन्य अभ्यार्थियों से भरे जावेगें।
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम लागू होगें।
3. आवेदक की 01.10.2011 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष पूर्ण नही होनी चाहिए।
4. पदों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
5. इच्छुक अभ्यार्थी निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र मय शर्ते व निर्देश के जो जिले की वेब साईट Sawaimadhopur.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है एवं ए–4 साईज पेपर में समस्त दस्तावेजों (यथा मूलनिवासी, जन्मतिथि, जाति प्रमाण पत्र, समस्त शैक्षणिक योग्यता, विशेष योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र आदि) की सत्यापित प्रतियां संलग्न करते हुए निर्धारित दिनांक तथा समय तक कार्यालय में रजिस्टर्ड पोस्ट से या व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते है।
6. माननीय उच्च न्यायालय में दायिर रिट याचिका संख्या 10616/09 में शामिल याचिकाकर्ता पूर्व संविदा कार्यक्रम अधिकारियों को भी निर्धारित प्रारूप में समस्त दस्तावेज संलग्न करते हुए आवेदन करना होगा।
7. आवेदन की अन्य शर्ते व निर्देश आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।
8.

जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)
एवं जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर

2539–50
26.9.11

प्रतिलिपि :

1. सम्पादक राजस्थान पत्रिका व दैनिक नवज्योति को प्रेषित कर श्रम है कि विज्ञप्ति का जयपुर संस्करण में न्यूनतम स्पेश में प्रकाशन करना सुनिश्चित करें।
2. नोटिस बोर्ड जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं जिला कलेक्टर कार्यालय ।
3. नोटिस बोर्ड जिला परिषद (ग्रा.वि.) व पंचायत प्रकोष्ठ सवाई माधोपुर ।
4. नोटिस बोर्ड पंचायत समिति सवाई माधोपुर/खण्डार/बौली/गंगापुरसिटी/बामनवास कार्यालय।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. जिला कलेक्टर कार्यालय सवाई माधोपुर को आवेदन पत्र प्रारूप व शर्तो/ निर्देशो की प्रति के साथ संलग्न कर निर्देश है कि उक्त विज्ञप्ति, आवेदन पत्र प्रारूप व शर्तो/निर्देशो को जिले की बेबसाईड Sawaimadhopur.nic.in पर डाउनलोड कर कार्यालय को अवगत करावे। (संलग्न)
6. रक्षित पत्रावली

जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)
एवं जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला कलक्टर)
राष्ट्रीय ग्रामीणं रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान,
जिला – सवाई माधोपुर

APPLICATION FORM FOR THE POST OF "ASSISTANT PROGRAMME OFFICER"

(on contract)

1. Name (in Block Letter) : ....
2. Father/Husband's Name : ....
3. Date of Birth (DD/MM/YY) : ....
4. Sex : (√ the appropriate box) : Male ☐ Female ☐
5. Category (√ the appropriate box) : SC ST OBC Gen PH SBC EBC
6. Marital Status : Single ☐ Married ☐ Separated ☐ Widow(er) ☐ Divorced ☐
7. Details of DD/ Postal Order :

Instrument No.	Drawn on	Date of Issue	Amount

PHOTO SELF ATTESTED.

8. Postal Address : ....
....
....
9. Permanent Address : ....
....
....
10. Email-ID* (must) : ....
11. Telephone No (With STD Code) : ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐
12. Mobile No. * (must) : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
13. Educational Qualification :

S No.	Degree	University/ Board & Location	Year of Passing	Total Marks	Marks obtained	% / Grade	Major Subject
1.	12th						
2.	Graduation						
3.	Post Graduation						
4.	MBA						
	MBA in rural management/PG Diploma in rural management						

14. Employment Record :

a. Completed years of experience as PO NREGA.

15. Has your contract been terminated (√ the appropriate box) : Yes ☐ No ☐

16. Panchayat Samitti of Preference : 1.

2.

3.

17. Employment History From 01.04.04 (Starting from the present one)

Designation	Name of Organization	From (Date)	To (Date)	Name of the employer	**Major responsibilities**

18. Any other relevant information :

:: Declaration ::

Certify that all above information furnished by me is true complete and correct to the best of my knowledge. In future if it found any information given by me wrong & unfactfully my candidature may be cancelled without any notice & information.

I am agree with all rules/Regulations/conditions attached with application form.

Signature with full Name

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला कलक्टर)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान,
जिला – सवाई माधोपुर

(आवेदन पत्र के साथ अभ्यार्थी द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न करने हेतु)

आवश्यक निर्देश/शर्ते –

1. चयन मेरिट/साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा तथा आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा ली जा सकती है। वरीयता सूची स्नातक की उपाधि में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जावेगी।
2. उक्त सेवाएं पूर्णरूपेण अनुबन्ध पर आधारित है एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.02.2012 तक पदों की स्वीकृति दी गई है। अतः अनुबन्ध अवधि दिनांक 29.02.2012 अथवा इस संबंध में शासन से प्राप्त आदेश जो भी पहले हो, तक रहेगी।
3. चयनित अभ्यार्थियों को विभाग के पत्रांक एफ 10 (7) आरडी/नरेगा/संविदा/10–11 दिनांक 28.02.11 के अनुसार अनुलग्क "ख" प्रारूप में 100/– रू. के नॉन ज्यूडिशनल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।
4. यह संविदा सेवा पूर्णतया अनुबन्ध के आधार पर अस्थायी होगी। भारत सरकार द्वारा संविदा पद की अवधि प्रति वर्ष आगे बढाने पर तथा संविदा कर्मी का कार्य संन्तोषजनक पाये जाने पर ही अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जावेगा। सेवायें असंतोषजनक पाये जाने पर संविदा अभ्यार्थी का अनुबन्ध कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।
5. अभ्यार्थी के चयन के संबंध में अन्तिम निर्णय अधोहस्ताक्षरकर्ता का ही मान्य होगा तथा न्यायिक/विधिक परिक्षेत्र सवाई माधोपुर के अध्यधीन रहेगा।
6. आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2011 को सांय 6.00 बजे तक अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) जिला परिषद सवाईमाधोपुर में पहुंच जाने चाहिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा।
7. DOEACC Society द्वारा कम्प्यूटर में "O" Level कोर्स के योग्यताधारी छोडकर अन्य को नियुक्ति के 4 माह के भीतर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा। इसकी फीस का पुनर्भरण उत्तीर्णता सर्टिफिकेट प्राप्त कर रसीद प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार नरेगा मद के प्रशासनिक मद से किया जायेगा। यह कोर्स उत्तीर्ण नहीं करने तक मानदेय रूपयें 13000/– प्रतिमाहं ही देय होगा। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात रू. 15000/– प्रतिमाह मानदेय देय होगा। नियुक्ति के 4 माह के भीतर उक्त कोर्स नही करने पर संविदा समाप्त की जा सकेगी।
8. सफल/ मेरिट के आधार पर आवेदकों को साक्षात्कार हेतु (यदि आवश्यक समझा गया)पृथक से सूचना प्रेषित की जावेगी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले आवेदकों को किसी भी प्रकार का भत्ता देय नही होगा।
9. माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 10616/09 में दिये निर्णय दिनांक 31.01.11 की अनुपालना में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग–3) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ 10 (9) ग्रावि/नरेगा/सहा.कार्य.अधि./10 जयपुर दिनांक 29.06.2011 द्वारा याचिकाकर्ता के संबंध में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि निर्धारित की जाती है अन्य के लिए न्यूनतम योग्यता एम.बी.ए. होगी। याचिका कार्ताओं को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देने के लिए एवं एम.बी.ए. की योग्यता रखने वाले अभ्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अंक प्रदान किये जावेगे जो समान होगें।

10. पूर्व में संविदा पर कार्यक्रम अधिकारी पद पर कार्यरत रहे याचिकाकर्ताओं का उनके कार्यकाल अवधि में कार्य संतोषजनक होने, कोई अनियमितता, गबन, एफ.आई.आर. दर्ज, दण्डित नहीं होने आदि बिन्दुओं के परीक्षण करने के पश्चात पात्र /योग्य पाये गये याचिकाकर्ता अभ्यिार्थियों को ही अन्य सामान्य आवेदकों की तुलना में प्राथमिता देते हुऐ चयन किया जावेगा। इस प्रकार पात्र /योग्य याचिकाकर्ता अभ्यार्थियों की संविदा नियुक्ति के पश्चात शेष रहे रिक्त पदों पर ही अन्य आवेदको में से वरीयतानुसार चयन किया जावेगा।

11. चयनित अभ्यार्थी को जिले की किसी भी पंचायत समिति में पदस्थापित किया जा सकता है।

हमने उक्त शर्तो/निर्देशो के बिन्दुओं को पढ समझ लिया है हम इन शर्तो की पालना/निर्देशो से पूर्ण रूप से सहमत हैं।

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता/अभ्यार्थी